



हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 26.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना बिलरियागंज: अपहरण के अभियोग में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 22.06.25 को आवेदिका ग्राम बिन्दवल थाना बिलरियागंज आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर प्रा०पत्र दिया कि वादिनी की लड़की उम्र लगभग 15 वर्ष को लट्ठा राजभर पुत्र नन्दु राजभर निवासी ग्राम पो० बिन्दवल थाना बिलरियागंज द्वारा रात्रि 8 बजे फोन द्वारा बातचीत कर बहला फुसला कर अपने साथ भगा ले गया, के सम्बन्ध में थाना बिलरियागंज पर मु०अ०सं० 214/25 अन्तर्गत धारा 87/137(2) बीएनएस पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी और पीडिता उपरोक्त को बरामद किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक- 26.06.2025 को उ०नि० अक्षयदीप सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लट्ठा राजभर उर्फ सौतार राजभर पुत्र नन्दू राजभर निवासी बिन्दवल थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को समय 09.15 बजे हारीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु०अ०सं० 214/25 अन्तर्गत धारा 87/137(2) बीएनएस थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. लट्ठा राजभर उर्फ सौतार राजभर पुत्र नन्दू राजभर निवासी बिन्दवल थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1- सुनील कुमार दुबे थानाध्यक्ष बिलरियागंज आजमगढ़
- 2- उ०नि० अक्षयदीप सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- 3- का० स्वातेश कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़
- 4- का० अतुल सिंह यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़



02.थाना रौनापार: ग्राम छपिया में हुई मारपीट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, अवैध असलहा व कारतूस बरामद ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि वादिनी श्रीमती माधुरी देवी पत्नी रामसरीख यादव साकिन छपिया जोकहरा थाना रौनापार आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र कि दिनांक 25.06.25 को समय करीब 10.30 बजे वादिनी अपने बगीचे में साफ सफाई कर रही थी कि पैमाइश के द्वारा लगाई गयी पत्थर को प्रतिवादीगण द्वारा उखाड़ना तथा वादिनी द्वारा मना करने पर माँ बहन की गाली गुप्ता देते हुए मारना पीटना व अभियुक्त रामधन यादव द्वारा अवैध कट्टा लेकर वादिनी उपरोक्त के ऊपर तान देना व जान से मारने की धमकी देने सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 25.06.25 को मु0अ0सं0 248/25 धारा 115(2),352,351(3), 326(e) बी.एन.एस. बनाम 1. रामधन यादव पुत्र पूनवासी यादव 2. रेखा देवी पत्नी रामधन यादव 3. पूनवासी यादव पुत्र स्व0 कोमल यादव निवासीगण ग्राम छपिया थाना रौनापार आजमगढ़ के पंजीकृत कराया गया है। जिसमें अभियुक्त रामधन यादव पुत्र पूनवासी निवासी ग्राम छपिया जोकहरा थाना रौनापार आजमगढ़ की गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोतरी किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 26.06.25 को उ0नि0 विवेक सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रामधन यादव पुत्र पूनवासी निवासी ग्राम छपिया जोकहरा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष को ग्राम जोकहरा कुटिया से समय करीब 01.00am बजे को एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 248/25 धारा 115(2),352,351(3), 326(e) बी.एन.एस. व 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 248/25 धारा 115(2),352,351(3),326(e) बी.एन.एस. व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 94/15 धारा 3/25आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

3.मु0अ0सं0 173/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

1- रामधन यादव पुत्र पूनवासी निवासी ग्राम छपिया जोकहरा थाना रौनापार आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष ।

बरामदगी-

1-एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विवेक सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

2. का0 राहुल यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

3. का0 धर्मेन्द्र कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

4. का0 दिलीप कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

